"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## ( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 213 ]		रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 23 अगस्त 2002—भाद्र 1, शक 1924

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 अगस्त 2002

### अधिसूचना

क्रमांक 3190/ऊर्जा विभाग/2002.—विद्युत नियामक आयोग अधिनियम, 1998 (क्रमांक 14 सन् 1998) की धारा 17 की उपधारा (1) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की पूर्व में जारी की गई अधिसूचना क्रमांक 2288 दिनांक 1-10-2001 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग का गठन निम्नानुसार करती है एवं यह दिनांक 3-10-2001 से छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवृत्त माना जायेगा.

1. आयोग, विद्युत नियामक आयोग अधिनियम, 1998 (1998 का संख्यक 14) की धारा 17 उपधारा (6) तथा (7) के उपबंधों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए गए चेयरपर्सन को सम्मिलित करते हुए दो सदस्यों से मिलकर बनेगा.

2. आयोग, विद्युत नियामक आयोग अधिनियम, 1998 (1998 का संख्यक 14) में उसे प्रदत्त शक्तियों तथा कृत्यों तथा ऐसे कृत्यों का, जैसा कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए जाए निर्वहन करेगा.

3. आयोग का मुख्यालय रायपुर में होगा.

4. आयोग उपरोक्त नाम से एक निगमित निकाय होगा. जिसकी स्थावर तथा जंगम सम्पत्ति को अधिग्रहण करने, धारण करने तथा व्ययन करने तथा संविदा करने की शक्ति सहित शाश्वत उत्तराधिकार तथा मुद्रा होगी और उक्त नाम से यह वाद चला सकेगा या उस पर वाद चलाया जा सकेगा.

5. आयोग का चेयरमेन उक्त आयोग का मुख्य कार्यपालक होगा.

Raipur, the 23rd August 2002

NOTIFICATION

No.3190/S/E/2002.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (3) of Section 17 of the Electricity Regulatory Commission Act, 1998 (No. 14 of 1998) and in supersession of Notification No. 2288 dt. 1-10-2001 of this department, issued previously, the State Government hereby establish a commission known as Chhattisgarh Electricity Regulatory Commission, with effect from 3rd October. 2001, as under.

1. The commission shall consist of two members including the Chairperson to be appointed by the State Government in terms of provision of section 17 (6) and (7) of the Electricity Regulatory Commission Act, 1998.

2. The Commission shall discharge the powers and functions as conferred to it in the Electricity Regulatory Commission Act, 1998 and any other functions as may be notified by the Government of Chhattisgarh from time to time.

3. The Head Office of the Commission shall be at Raipur.

4. The Commission shall be a body corporate by name aforesaid having perpetual succession and a common seal with power to acquire, hold and dispose of property, both moveable and immoveable and to contract and shall by the said name sue or be sued.

5. The Chairperson of the commission shall be the Chief executive of the said commission.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एन. ध्रुव, संयुक्त सचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.